सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या–13

अनुदत्त रियायतें अनुज्ञापन।

निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड, देहरादून।

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनायें

- सहकारी ऋण एवं अधिकोशण योजना
- सहकारी क्रय–विक्रय योजना
- सहकारी उपभोक्ता योजना
- सहकारी षिक्षा, प्रषिक्षण एवं प्रचार–प्रसार योजना
- पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृशि निवेष आपूर्ति एवं वितरण योजनार्न्तगत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता

1– सहकारी ऋण एवं अधिकाशण योजना–

विभिन्न कृशि उत्पादन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में यह योजना एक अभूतपर्व भूमिका अदा करती है इस समय सहकारी ऋण समितियॉ अपने कृशक सदस्यों को कृशि उत्पादन ऋण उर्वरक, बीज, कीटनाषक दवाओं आदि के लिए साधन उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त समाज के निर्बल वर्ग के लोगों का उपेक्षित न रहने देने के उद्देष्य से यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया है कि वितरित किये जाने वाले ऋण का कम से कम 30 प्रतिषत ऋण इसी वर्ग के लोगों को दिया जाय। उत्तराखण्ड राज्य में जिला सहकारी बैंको के माध्यम से कृशि समितियो में मिनी बैंक भी संचालित किये जा रहे है। राज्य में 7 नगरीय सहकारी बैंक कार्यरत है, जिनमें से नैनीताल एवं अल्मोड़ा के नगरीय बैंको की ख्याति बहुत अच्छी है उनके द्वारा नगरीय क्षेत्र में रोजगार सृजन के अवसर दिये जा रहे है। वेतनभोगी कर्मचारियों की सुविधा के लिए उनके संस्थानों में वेतनभोगी सहकारी समितियों का गठन किया गया है जिनके द्वारा अपने सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकाष वेतनभोगी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैः–

1– पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान–

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृशि ऋण समितियों के नियुक्त कैडर सचिवों को वेतन देनें में समिति एवं बैंक के अंषदान जो कुल वितरित ऋण का 1.50 प्रतिषत एवं 0.50 प्रतिषत होता है, से अधिक जितनी धनराषि भुगतान की जाती है, की प्रतिपूर्ति इस योजना से की जाती है। इसके उपरान्त भी उक्त फण्ड में अधिविकर्श है, जिससे सहकारी बैंको को हानि उठानी पड रही है।

2– जिला सहकारी बैंक की षाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान–

वर्तमान में नयी षाखाओं को 3 वर्शो तक 32000 प्रतिवर्श की दर से प्रबन्धकीय अनुदान दिया जाता है, किन्तु नई नीति के अनुसार केवल उन्ही क्षेत्रों में नई षाखाओं खोली जायेगी जो लाभ की स्थिति में आ सकती हो।

3–अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदसयों को अंषक्रय हेतु ब्याज रहित ऋण/अनुदान–

वर्तमान में सदस्य बनने हेतु उक्त मद में अधिकतम 100 रूपये (50प्रतिषत ब्याज रहित ऋण, 50 प्रतिषत अनुदान) नये सदस्य को दिया जाता है।

4–प्रारम्भिक सहकारी कृशि ऋण समितियों को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान–

वर्तमान में समितियों को वर्श दौरान ऋण वितरण में भी हानि की प्रतिपूर्ति हेतु आवष्यक धनराषि अनुदान स्वरूप दी जाती है, समितियों का स्वाश्रियता बढाने के प्रयास किये जा रहे है।

5–प्रारम्भिक सहकारी कृशि ऋण समितियों को मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय एवं साज–सज्जा अनुदान–

वर्तमान में जिन प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समितियों में मिनी बैंक प्रारम्भ किये जाते है, उन्हे तीन वर्श तक 5000,00 रू0 प्रति वर्श की दर से प्रबन्धकीय अनुदान एवं मु0 5000.00 रू0 साज–सज्जा अनुदान केवल एक बार प्रदान किया जाता है। समितियों को स्वाश्रयी करने हेतु यह योजना लाभकारी है।

6–अनु0जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज पर राहत हेतु अनुदान–

वर्तमान में अनु0जाति/जनजाति के सदस्यों को 3 प्रतिषत की दर से ब्याज पर राहत दी जाती है।

2– सहकारी क्रय–विक्रय योजना–

कृशको को उनकी उपज का उनके गांव के ही निकट की सुचारू रूप से क्रय–विक्रय का उचित प्रबन्ध करके उन्हे उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें विभिन्न बाजारी कुरीतियों तथा षोशण से मुक्ति दिलाने हेतु यह योजना विभाग द्वारा कार्यान्वित की गयी है। इस कार्यक्रय के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित है–

1–क्रय–विक्रय समितियों को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान–

क्रय–विक्रय समितियों को आगणन के आधार पर गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हे।

2—क्रय—विक्रय समितियों को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान—

दुर्बल क्रय—विक्रय समितियों को केवल एक बार पुर्नस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3—सहकारी उपभोक्ता योजना—

इस योजना का प्रारम्भ आर्थिक जटिलता तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने एवं उनकी निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली दैनिक विषुद्ध उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देष्य से किया गया। उत्तराखण्ड की विषेश आर्थिक परिस्थितियों को दृश्टिगत रखते हुए सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का सूत्रपात बढ़ती हुई कीमतों को रोकने तथा उपभोक्ताओं को षुद्ध एवं उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। उपभोक्ता भण्डारों तथा उनकी षाखाओं के माध्यम से स्थानीय जनता को निरन्तर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित है—

1—केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार—चढाव निधि हेतु अनुदान—

वर्तमान में केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/जिला सहकारी संघों को बाजार से प्रतिस्पर्धात्मक दर सुनिष्चित करवाने हेतु उन्हें 25000/—प्रति वर्श मूल्य उतार—चढाव निधि जिसका उपयोग बाजार दर में गिरावट आने पर संघों/भण्डारों को जो हानि होती हैं उसकी पूर्ति की जा सकें।

2—केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/लीड समितियों/जिला सहकारी संघों को यातायात अनुदान—

सहकारी उपभोक्ता भण्डार/लीड समितियां/जिला सहकारी संघ जो कि विकास खण्ड स्तर पर लीड समिति के रूप में कार्य कर रही हैं उन्हें यातायात अनुदान मदों में 25000/–की दर से अनुदान दिया जाता है जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवष्यक वस्तुओं की कीमतों में विषेश वृद्धि न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिष्चित हो सके।

3–पैक्स/लैम्पस को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान–

पैक्स/लैम्पस जो कि विकास खण्ड स्तर पर कार्य कर रही है उन्हें 5000/– की दर से यातायात अनुदान दिया जाता है जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवष्यक वस्तुओं की कीमतों में विषेश वृद्धि न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति निरन्तर सुनिष्चित हो सकें।

4–संघ के सचिवों के वेतन हेतु राहत अनुदान–

आर्थिक स्थिति से कमजोर संघ के सचिव के वेतन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हे।

6–पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृशि निदेष आपूर्ति एवं वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–

उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों में बिक्री केन्द्र रेल हैड से इतने अधिक दूर है कि यदि उनमें सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत उर्वरक आपूर्ति की जाय तो दूरस्थ क्षेत्रों में उर्वरक की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी एवं षासन की नीति के अनुसार निर्धारित एक ही दर पर समस्त स्थानों पर उर्वरक बिक्री नही की जा सकती। उक्त स्थिति को दृश्टिगत रखते हुए रेल हैड से समिति बिक्री केन्द्रो तक उर्वरक आपूर्ति में जो व्यय आता है वह षासन से अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। उक्त योजना कास्तकारों/कृशकों से सीधी जुडी हुई है, जिससे उनके स्वरोजगार के अवसर बढ़ते है।